IN THE COURT OF SPECIAL EXCLUSIVE EXCISE COURT NO. 2, JEHANABAD

Excise Case No:- 4268/26

State vs

Date of Order	Order	Remark
12-08-26	Arwal Excise सनहा स0- 1859/26 द्वारा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम एवं संशोधित 2022 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ इसे अवलोकन किया इसे पंजीबद्ध करें। सनहा के साथ अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रपत्र VI भी प्राप्त हुआ। लेखापित विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय, जहानाबाद।	
पश्चात 12-08-26	अनुसंधानकर्ता द्वारा गिरफतारी ज्ञाप, अग्रसारण प्रतिवेदन, चिकित्सीय जॉच प्रमाण–पत्र के साथ प्राथमिकी के नामित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उम्र:- 27 वर्ष पे0:- वकील सिंह साकिन:- भागवतीपुर थाना:- करपी जिला:- अरवल ... को गिरफतार कर उचित मार्गरक्षक दल के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा मे किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत नही की गई। अधिवक्ता नियुक्ति के संदर्भ मे पूछे जाने पर अभियुक्त स्वयं व्यवस्था करने की बात कहते है। अभियुक्त द्वारा यह भी कहा गया कि उनकी गिरफतारी की सूचना उनके परिवार वालों को है। अभियुक्त स्वेच्छा से अपना दोष स्वीकार करना चाहते है। अतः इस बिन्दु पर उचित आदेश पारित करने का निवेदन करते है। अभियुक्त द्वारा किए गये उपरोक्त निवेदन के आलोक मे बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) नियमावली 2022 के नियम 18 के अन्तर्गत समर्पण विहित प्रपत्र VI (क) में वर्णित तथ्यों को अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया एवं उक्त प्रपत्र को पढ़कर/सुन व समझकर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से उस पर अपना हस्ताक्षर/ L.T.I. बनाया गया। समर्पण विहित प्रपत्र VI (क) में अभियुक्त द्वारा किए गए कथन के आलोक मे इस न्यायालय द्वारा प्रपत्र VII मे वर्णित कार्यवाही की गयी एवं अभियुक्त को धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के क्रम मे इनकी तरफ से निवेदन किया गया कि यह इनका प्रथम अपराध है एवं ये काफी गरीब है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आदेश पारित किया जाए। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक मे उक्त नियमावली के नियम 18 (क)(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली 18 (3) के आलोक मे यह न्यायालय इस दोष सिद्ध को धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध हेतु 7500/ रू. अर्थदण्ड की सजा देती है एवं इस अर्थदण्ड की राशि अदा न कर पाने की स्थिति में दोषसिद्ध को 30 दिन कारावास का दण्ड भुगतना होगा। लेखापित विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय, जहानाबाद।	धर्मेन्द्र कुमार 12/08/26

12.8.26

[illegible] आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से न्यायालय के चेक नं. 821943 [illegible] दिनांक 12.8.26 के द्वारा 25000/- रुपया जुर्माना की र. [illegible] जमा किया गया, जिसकी रसीद/ रसीद अभियुक्त को दिया गया [illegible] कॉपी अभिलेख के साथ संलग्न किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा [illegible] लिपिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय

जहानाबाद।